भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1244
सोमवार, 08 दिसम्बर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

कामगारों के समग्र कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाना

†1244.श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह एक तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आईएसएसए) से मान्यता प्राप्त होने से देश की सामाजिक सुरक्षा सहयोग और ज्ञान साझा करने में नेतृत्व की भूमिका मजबूत होगी और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में समग्र श्रमिक कल्याण के लिए कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार कार्य कर रही है कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि से स्वास्थ्य सेवा और पेंशन सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में भी वृद्धि हो; और

(घ) देश की सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आईएसएसए) ने भारत को सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने और अपने नागरिकों के लिए समावेशी कल्याण सुनिश्चित करने के लिए देश के अनुकरणीय प्रयासों को मान्यता देते हुए, सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। आईएसएसए पुरस्कार एक प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान है, जो हर तीन साल में एक बार विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच पर प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार इस बात को मान्यता देता है कि भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो वर्ष 2015 के 19 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 64.3 प्रतिशत दी गई है।

जारी..2/-

कौशल विकास और रोज़गार सुविधा के प्रयासों के माध्यम से श्रमिक कल्याण के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को भी सुदृढ़ किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस), और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल भारत मिशन (एसआईएम), कौशल, पुनः-कौशल और उच्च-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। साथ ही, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) प्लेटफ़ॉर्म नौकरी चाहने वालों को नियोक्ताओं से जोड़ रहा है, करियर परामर्श प्रदान कर रहा है और कौशल विकास तथा प्लेसमेंट लिंकेज को सुगम बना रहा है।

डिजिटल और वित्तीय समावेशन के मज़बूत आधार ने भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को संभव बनाया है। जन-धन योजना के तहत बैंक खाता कवरेज के साथ आधार-सक्षम पहचान और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के संयोजन से, लाभ लक्षित लाभार्थियों तक तेज़ी से और पारदर्शी रूप से पहुँच रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन, पीएम-पोषण, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन द्वारा समर्थित आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा ने सुलभ स्वास्थ्य सेवा का विस्तार किया है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, दिनांक 21.11.2025 से लागू हो गई है। संहिता के तहत औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के कामगारों जिनमें गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगार शामिल हैं, को शामिल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार किया गया है। इसके प्रावधानों में, अखिल भारतीय ईएसआईसी कवरेज, केवल एक कर्मचारी वाले उन प्रतिष्ठानों के लिए भी ईएसआईसी कवरेज जो खतरनाक या जोखिमपूर्ण व्यवसाय करते हैं, शामिल है। साथ ही, निश्चित अवधि के रोजगार के तहत कर्मचारी भी स्थायी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सभी लाभों के हकदार हैं जिसमें एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद आनुपातिक ग्रेच्युटी भी शामिल है। महिला कर्मचारी अधिकतम दो बच्चों के लिए पूर्ण अवकाश वेतन के साथ 26 सप्ताह की प्रसूति प्रसुविधा की पात्र हैं, और 50 या अधिक कामगारों वाले प्रतिष्ठानों द्वारा क्रेच सुविधा अवश्य प्रदान की जाएगी। संहिता, असंगठित कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण, शिक्षा आदि को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को तैयार करने में भी सक्षम बनाती है।

ये पहल मिलकर, भारत के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को संपूरित करती हैं जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कामगारों को न केवल सुरक्षा मिले, बल्कि उन्हें कौशल, नौकरियों और बेहतर आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच भी मिले।

****